

FORM-I
(for linear projects)
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, CHAMBA DISTRICT CHAMBA H.P.

NO 517/CBA/DRA/2019

dated: -Chamba, 25 February, 2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition) of Forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **9.3355 Hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Himachal Pradesh Public Works Department** GoHP for the Construction of **Motorable road Channi Bridge to Jalsoo Jot** in Chamba District falls within the jurisdiction of Dhar Jalsoo & DPF Pandvan village in Tehsil Bharmour. The proceeding of Mohal Dhar Jalsoo & DPF Pandvan have not been completed due to non-inhabitation. Hence the Mohal Dhar Jalsoo & DPF Pandvan have been considered on the basis of adjoining Mohal Surei of which proceeding of forest Committee, Gram Sabha, Sub Division Level Committee and the District Committee have been completed.

It is further certified that: -

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **9.3355 Hectare** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure-I to annexure-IV.
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. (Not applicable)
- c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encls: - As above.


District Collector,
Chamba District Chamba

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER CHAMBA, DISTRICT CHAMBA H.P.

Proceeding of the meeting of the District level committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Chamba District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Shri Harikesh Meena, IAS, Deputy Commissioner, Chamba on 04-01-2019 at 11:00 AM at Chamba in which it was informed that as per information received from the Office of the Sub Divisional Officer (Civil) Bharmour, no application received from Gram Sabha Surei claiming rights in land comprising in khasra No. 1/1, 48/1, 48/2, 48/3, 54/46/1 Kita (5) measuring 7.3110 Hectare in revenue state Dhar Jalsoo and comprising in Khasra No. 3/1 & 3/2 Kita (2) measuring 2.0245 Hectare in revenue state DPF Pandvan total area 9.3355 hectare proposed for the construction of motorable road Channi Bridge to Jalsoo Jot.

The DLC has not received any grievance/claim against the proceeding up to SDLC received through SDO (Civil) Bharmour. It is, therefore, concluded that no forest right of any individual or community exists on the above mentioned land.

Place: Chamba
Dated: -04-01-2019


Deputy Commissioner cum Chairman
DLC Chamba, District Chamba
Chamba Dist. Chamba H.P.

OFFICE OF THE SDO CIVIL, BHARMOUR
DISTRICT CHAMBA (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of BHARMOUR Sub Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. PRITHI PAUL SINGH SDO (Civil) BHARMOUR on 03-01-19 at 11:30 AM/PM at BMR (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of DHAR JALSO Gram Sabha, claiming rights in DHAR JALSO forest area(s) under FRA,2006, duly processed and recommended by the ABOVE Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	<u>PUBLIC WORK DEPT</u> (H.P)	<u>DHAR JALSO</u> D.P.F. PANDUAN	<u>KHARON No. 3/1, 3/2</u> O.P.F. <u>45/4</u> <u>25-605</u>
2.			<u>1/1, 48/1, 48/2, 48/3, 54/4</u> <u>10/1, 5/2, 10-06/1</u> <u>46/1</u>

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No. Name of Applicant* Name of Forest Detail of forest Right

1. _____
2. Nil

OR

As informed by DHAR JALSO Gram Sabha, no application was received claiming rights in _____ forest area. PANDUAN

Place: BHARMOUR
Date 03/01/2019 SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson
DDO Code-001

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

365

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मुहल गुराफ
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

प्रस्ताव संख्या

ग्राम सभा मुहल गुराफ की बैठक आज दिनांक 17/8/2018 को
बजे स्थान 16:00 में श्री/श्रीमति चर्चा की अध्यक्षता में
की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें विभाग द्वारा के निर्माण के लिए हेक्टर वन
भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दरतावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.	Laxmi Devi	OPR Pandhar	...
2.	...	OPR Beldaye	...
	...	OPR
	...	OPR
	...	OPR
	...	OPR
	...	OPR
	...	OPR
	...	OPR

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इस उपखण्ड के निर्माण के लिए वन अधिकारों की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2. तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार या जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान मुहल गुराफ
दिनांक 11/8/18
अधीकृत हस्ताक्षरवर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि को उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रधान Lata Devi
मुख्य न्याया, दिल्ली (डि०प्र०)
प्रधान/सचिव
वन अधिकार कमेटी
मुहल गुराफ प्रा० पं० न्याया
...

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा 1764
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव सख्या 3.....

दिनांक 17/8/2018

ग्राम सभा वन अधिकार समिति की बैठक आज दिनांक 17/8/2018 को
..... बजे स्थान 11.01.54..... में श्रीमति की अध्यक्षता में की गई
जिसने गांव /गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो
की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल /वन क्षेत्र में (जिसमें
..... विभाग द्वारा सडक के
निर्माण के लिए हेक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए
दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाव वासियों के आवेदनो पर चर्चा की
गई वन अधिकारो के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा
द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया

क0स0 पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

कहीं भी दावा उत्पन्न नहीं हुआ है।

निम्नलिखित गांव वासी

1. OPIC फलवाण
2. OPIC वाववेई
3. OPIC आड़ा
4. OPIC भसोडा/Blajore
5. OPIC लालसूचर

तदनुवार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया

क0स0 पात्र ग्राम वासी का नाम

.....
प्रधान / सचिव
वन अधिकार कमेटी
मुख्यालय गा० प० न्यागा
.....

S.No	Name & Address	Signature
1	- चमी राम शे. वजारे राफ सुरेशी	- चमी राफ
2.	। गार राफ शे. अगत राफ	ज्याट चंद
3.	- अने राफ शे. - धनात < 15	रल चंद
4.	रेशाभा देवी शे. पुराणेशम राफ	रेशाभा देवी
5.	राधा - देवी शे. श्री राफ	राधा देवी
6	नि-गोध शे. - योकर राफ	सन्तोष कुमारे
7	सुनीता देवी शे. सुळ राफ	सुनीता देवी
8	सिगरी - राफ शे. शुभकर	सिगरी राफ
9.	वेकम - राते शे. असीरा राफ	Vikram Sange

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मुहाल गुरक मुहाल सभा
 विकास खण्ड गुरक जिला गुरक (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 14/8/2018

गणपूर्ति 94/167

प्रस्ताव संख्या 3

विषय: विभाग/संस्था को R.D 45/04 62/0

के निर्माण हेतु
 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि के
 उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा मुहाल गुरक की बैठक काज दिनांक 14/8/2018
 को 11 बजे, स्थान गुरक में
 की गई, जिसमें विभाग/संस्था को
 के निर्माण हेतु जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित
 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्य को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित पूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित हैक्टेयर वन भूमि को वन निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा मुहाल सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान (14/8/2018) गुरक
 दिनांक 14/8/2018

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा.....

प्रधान
 वन अधिकार
 मुहाल उरक, गांव पं० न्याग्र

प्रधान पनी राम
 वन अधिकार कमेटी
 मुहाल गुरक गांव पं० न्याग्र

प्रधान / सचिव
 वन अधिकार कमेटी
 मुहाल गुरक गांव पं० न्याग्र



प्रधान, ग्राम पंचायत न्याग्रां,

विकास खण्ड भरमौर,

उप-तहसील होली, जिला चम्बा (हि.प्र.)

मो.: 88942-12874

लता देवी

प्रधान, ग्राम पंचायत न्याग्रां,

उप-तहसील होली, जिला चम्बा (हि.प्र.)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला (हि.प्र.)

क्रमांक 08

दिनांक 17/08/2018

विषय :- वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूखण्ड निर्माण कार्य - पुल बनावट के माता से जालसू जीत 010 70 17/0 10m का अनुपात प्रभाव पत्र देने वारे।

यह है कि अधिकांश सरसदीवा इलाका स्थानीय गांधी स्वामी स्वामी के समक्ष प्रस्ताव किया गया कि गांधी स्वामी स्वामी पंचायत (हि.प्र.) लोक निर्माण विभाग उप-खण्ड होली द्वारा पुल बनावट के माता से जालसू जीत एक वन भूखण्ड निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी लंबाई 1710m दिखाई गई है। वन वस कार्य में पंचायत की (9-3355) है वन भूमि में निर्माणाधीन है। अतः उक्त निर्माण कार्य हेतु गांधी स्वामी से अनुपात प्रभाव पत्र लेने की आवश्यकता है। अतः उक्त निर्माण कार्य स्वीकारित वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भी देखा जा रहा है। अतः उक्त स्वामी को पर विचार करें।

गांधी स्वामी द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वस्वीकारित है (कारित) देखा है कि उक्त कार्य हेतु प्रस्तावित वन भूमि में गांधी पंचायत द्वारा निर्माण के कोई भी निर्माण कार्य के कोई भी अनुपात नहीं है। उक्त स्वामी निर्माण के लिए वन भूमि को अनुपात नहीं है। अतः गांधी स्वामी पंचायत को उक्त निर्माण कार्य के कोई भी अनुपात नहीं है। अतः गांधी स्वामी द्वारा प्रस्ताव पात्र पर कारित किया गया कि विभाग को उक्त कार्य का अनुपात प्रभाव पत्र जारी किया जावे। साथ ही यह भी पारित देखा कि प्रस्ताव की कारितिविधि भी मान स्वीकारित अधिनियम (हि.प्र.) लोक निर्माण विभाग उप-खण्ड होली को भी देखा है अतः उक्त स्वामी आवश्यक कारितवाही हेतु कारित भी जावे।

प्रधान Lata Devi
ग्राम पंचायत न्याग्रां
ब्लॉक भरमौर, चम्बा (हि.प्र.)